03/12/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उप.। वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2022/147

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 254/2022 GCMS:-2022/147 दायरा दिनांक 12.09.2022

रामस्वरूप पुत्र श्री भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादी –

1. सतपाल पुत्र अमरसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. मांगीलाल पुत्र अमरसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री राकेश सारस्वत (अभिभाषक वादी)
2. श्री प्रभुदयाल (अभिभाषक वादी)
3. भगवानदर्त शर्मा (अभिभाषक प्रतिवादी 1 व 2)
1. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद अर्न्तगत धारा 183 भू राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 03.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई पक्षकारो के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक 2 एम.सी जमाबन्दी खाता सं0 36 नया 27 पुराना अनुसार पं.नं.114/56 कि.नं. 7, 8, 11 ता 13, 20 में कुल 0.999 है0 कमाण्ड भूमि है जिसे बतौर खातेदार काश्त करने का वादीगण को पूर्व अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिता के नाम चक 2 एम.सी खाता सं0 4 नया के प.न. 114/45 कि.नं. 16, 25/2 में 0.4810 पं0नं0 114/48 कि.नं. 25 में 0.253, पं.नं. 114/55 में कि.नं. 19/2, 20, 21/1, 22/2, 23/1 में 1.153 है0 114/56 में कि.नं. 1, 2, 3/1, 9, 10 में 1.215 है0 कमाण्ड भूमि है जो कुल 3.102 है0 कमाण्ड भूमि बनती है। पं.नं. 114/56 वादी का किला नं. 8 प्रतिवादीगण के किला नं. 9 से चिपता है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने वादी के कि.नं. 8 के करीब 110 फुट अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जो की वादी का किला है। अतिक्रमी को अतिक्रमी घोषित तक वादी को अतिक्रमित भूमि का कब्जा दिलवाने एंव वादकालीन समय का नकद अनुतोष दिलवाने की प्रार्थना की। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब कर जवाब प्राप्त किया गया जिसमें उन्होने वाद पत्र के आरोप से इन्कार कर दिया। बाद आने जवाब निम्न प्रकार से वाद बिन्दू कायम किये गय :–

1. आया वादी चक 2 एम.सी खाता नं. 36/27 पं.नं0 114/56 कि.नं. 7 , 8, 11 ता 13, 20 का 0.999 है0 भूमि का खातेदार कृष[illegible] –वादी
2. आया कि प्रतिवादी नं0 1 [illegible] 2 एम.सी पं0 नं0 114/56 की कि.नं. 8 में 110 फुट यानि 0.168 [illegible] भूमि पर बिना किसी की विधिक अधिकार के काबिज है एंव फसल का फायदा उठा[illegible] है। –वादी
3. आया कि वादी प्रतिवादी नं0 1 व 2 को अतिक्[illegible] घोषित करवाकर जैरवाद रकबा का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी एंव 10000 रूप्या वार्षिक अनुतोष पाने का अधिकारी है। –वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

–लगातार 2 पर

4. आया कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा वादी की भूमि पर बल पूर्वक काबिज नहीं है।

—प्रतिवादी नं0 1 व 2

5. आया राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र स्वीकार किया जावें।

—प्रतिवादी नं0 3

बाद कायमी विचारण बिन्दू पक्षकारों के साक्ष्य प्राप्त किये गये वादी रामस्वरूप ने स्वंय के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये एंव प्रतिवादीगण ने भी स्वंय के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये। बाद साक्ष्य तर्क सुने गये।।

योग्य अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की जमाबन्दी संलग्न अनुसार वादी के नाम चक 2 एम.सी पं0 नं0 114/56 कि.नं. 7, 8, 11 ता 13 20 में 0.999 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित है। पटवारी द्वारा भूमि कि पैमाईश में दैनिक डायरी अनुसार प्रतिवादीगण का चक 2 एम.सी के किला नं0 8 में 110 फिट का कब्जा प्रतिवादीगण का साबित मानते हुए उन्हे अतिचारी घाषित कर बेदखल करते की प्रार्थना की व दोरने बाद वाद कालीन अनुतोष 10000 रूपये प्रतिवर्ष दिलवाने की प्रार्थना की।

अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया किक यह सही है कि वादी की चक 114/56 में 0.999 है0 भूमि है और वे अपने नाम अंकित भूमि से अधिक काश्त कर रहे है। नपवाई के समय ना तो प्रतिवादीगण उपस्थित थे ना ही उन्हे सूचना देकर बुलाया गया दैनिक डायरी के तथ्य साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पुष्ट नहीं नापाई प्रभावित काश्तकारो की अनुपस्थिती में की गई है। अमान्य है प्रतिवादीगण स्वंय के ज्ञान अनुसार कतई अतिकृमी नहीं है। वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की।

तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्व पत्रावली का अवलोकन किया एंव पत्रावली का ध्यान पूर्वक पठन उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :—

1. आया वादी चक 2 एम.सी खाता नं. 36/27 पं.नं0 114/56 कि.नं. 7 , 8, 11 ता 13, 20 का 0.999 है0 भूमि का खातेदार कृषक है। —वादी

उपरोक्त तनकी का भार वादी पर था वादी द्वारा जमाबन्दी सम्वंत 2074—77 खाता सं. 36/27 चक 2 एम.सी तहसील सूरतगढ़ प्रस्तुत किया जिसके वादी के नाम चक 2 एम.सी पं0 नं0 114/56 कि.नं. 7, 8, 11 ता 13, 20 में 0.999 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है। तनकी नं0 1 दस्तावेजी रिकार्ड से पूर्ण रूप से साबित है। तनकी नं0 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

2. आया कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 वादी की खातेदारी भूमि चक 2 एम.सी पं0 नं0 114/56 की कि.नं. 8 में 110 फुट यानि 0.168 है0 भूमि पर बिना किसी की विधिक अधिकार के काबिज है एंव फसल का फायदा उठा रहा है। —वादी

इस तनकी का भार वादी पर था इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा दैनिक डायरी की नकल 17.06.2022 प्रस्तुत की है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 का चक 2 एम[illegible] फिट भूमि पर प्रतिवीगण को कविज बताया गया है। किन्तु इस[illegible] तो सम्बन्धित पटवारी के ब्यान करवाये है ना ही दै[illegible] ब्यान करवाये गये है। प्रतिवादीगण इस नपाई [illegible] करते उनकी अनुपस्थिती में की गई नपाई किसी प्रकार से सन्देह से परे सा[illegible] नहीं। इस नपाई की सत्यता साक्ष्य अधिनियम अनुसार को सिद्ध नहीं है, इस अवस्था में यह तनकी सन्देह से परे साबित करने में वादी असफल रहा है। इसे सन्देह से परे साबित ना मानकर विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

— लगातार 3 पर

3. आया कि वादी प्रतिवादी नं0 1 व 2 को अतिकृमी घोषित करवाकर जैरवाद रकबा का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी एंव 10000 रूप्या वार्षिक अनुतोष पाने का अधिकारी है।

—वादी

इस तनकी का भार वादी पर था वादी द्वारा ऐसा कोई कानूनी प्रावधान पेश नहीं किया गया। जिसमें वाद कालीन अनुतोष 10000 प्रतिबीघा प्रतिवर्ष दिलाये जाने का प्रावधान है। तनकी नं0 2 भी वादी के विरूद्ध निर्णय की गई है। इसलिए यह तनकी भी सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से खिलाफ वादी निर्णय की जाती है।

4. आया कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा वादी की भूमि पर बल पूर्वक काबिज नहीं है।

—प्रतिवादी नं0 1 व 2

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नं0 3 पर था इसमें पक्षकार वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हित निहित है। सरकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से विरूद्ध प्रतिवादी नं0 3 निर्णय की जाती है।

5. आया राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र स्वीकार किया जावें।

—प्रतिवादी नं0 3

उपरोक्त विवेचन अनुसार चुकी तनकी नं0 2, 3 विरूद्ध वादी निर्णय की गई। व तनकी नं0 4 भी सिद्ध नहीं हुई। किन्तु न्यायहित में अंकित काश्तकार को अंकन अनुसार पूर्ण भूमि काश्त करने का अधिकार है।

अतः वाद वादी न्यायहित में आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि वादी पुनः नियमानुसार प्रतिवादीगण की उपस्थिती में नपाई करवाये व मौका पर प्रतिवादीगण यदि अतिचारी चक 2 एम.सी पं0नं0 114/56 के किला नं. 8 पर नपाई में पाये जावें तो तहसीलदार सूरतगढ़ उनको अतिचारित मानकर अतिचारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को प्रदान करें।

आदेश सुनाया गया डिक्री जारी हो पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 03.12.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर
एंव उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्र.सं. 254/2022 अनवानः–

रामस्वरूप पुत्र श्री भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादी –

1. सतपाल पुत्र अमरसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. मांगीलाल पुत्र अमरसिंह जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री राकेश सारस्वत (अभिभाषक वादी)
2. श्री प्रभुदयाल (अभिभाषक वादी)
3. भगवानदर्त शर्मा (अभिभाषक प्रतिवादी 1 व 2)
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद अर्न्तगत धारा 183 भू राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 03.12.2024

वाद अर्न्तगत धारा 183 भू राजस्व अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस्लाय कतई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी पेश होने पर वाद पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए हुक्म दिया जाता है कि यदि नियमानुसार प्रतिवादीगण को सुचना दिये जाने के पश्चात व उनकी उपस्थिति में नपाई किये जाने पर यदि प्रतिवादीगण चक 2 एम.सी पं0नं0 114/56 के किला नं. 8 में काश्त करते पाये जावें तो उनको अतिचारी मानकर तहसीलदार सूरतगढ़ अतिचारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा अतिचारित भूमि चक 2 एम. सी पं0नं0 114/56 के किला नं. 8 का वादी को प्रदान करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे।

नोज .....x.....मुबलिग.....x.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर .....x.....फसदो की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दि. 03.12.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)